607 602

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	b449df5d8a7e2f78b685
Receipt Date :	30-Sep-2022 11:39:20 am
Receipt Amount :	17000/-
Amount In Words :	Seventeen Thousands Rupees Only
Token Number :	20220000119669
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	NAMEETA BHAWANI MINZ (Vendee)
GRN Number :	2213741809

-: For Office Use :-

जिला अवर निबंधक, जिला-सिमडेगा (झारखंड)

30.9.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में किसी प्रकार का सेवा नहीं लिया गया है।

Namita Bhawani Minz
29/9/22

[illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 [illegible]
.... [illegible] .... [illegible]
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
[illegible] 1 [illegible] ....
[illegible]
[illegible] शुल्क [illegible]
[illegible] नहीं ।

30.9.22

Fee Paid
A1 ....12750/-
Land Lord Fee 03/-
Process Fee 41/-

Valuation Per Decimals
Land ....1,70,000/-............

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि
की सूची के अन्तर्गत नहीं है।
(अपडेट ऑनलाईन सूची से)

एन कुमार गुड़िया
29/9/22

मूल पहचान पत्र एवं अन्य
प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से
मिलान किया गया।

विक्रय पत्र
=======

परमिशन वाद संख्या 601/2021-22 आदेश दिनांक
28.09.2022 अन्दर दफा 46 सी.एन.टी.एक्ट

{1} नाम लेखयकारी{विक्रेता}:- श्री धनकुंवर गुड़िया उम्र 71 वर्ष पिता स्व0 जोहन गुड़िया दादा का नाम जुसफ मुण्डा, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति {सी.एन.टी.एक्ट 46 के अन्तर्गत आता है} पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता- भारतीय नागरिक । मो0 नं0- 8292802333, आधार संख्या- xxxx xxxx 9220
शपथ-पत्र संख्या:- 3415/2022

मदकल उरॉव
पिता- स्व० मनसु उरॉव
ग्राम- [illegible]
थाना- सिमडेगा
जिला- सिमडेगा
ता: 29/9/22

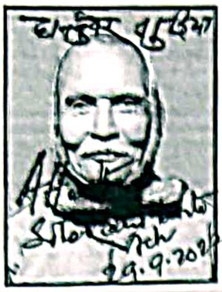

धन कुंवर बुड़िया
दि: 29/9/22
30/9/22

कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

30-09-2022
[illegible] .... [illegible]
[illegible] मे [illegible] निबन्धन कार्यालय (6)
[illegible] मैं लेख्यकारी या लेख्यधारी
[illegible] उनके मुख्तार को .... है
[illegible] .... है
[illegible] .... के [illegible]
निबन्धक द्वारा प्रमाणीकृत है।

§2§ नाम लेख्यधारिणी §क्रेतिका§:- नमीता भवानी मिंज उम्र 31 वर्ष पिता स्व0 जोसेफ मिंज दादा का नाम इसदोर मिंज,
श्रेणी- अनुसूचित जनजाति §सी.एन.टी. एक्ट 46 के अन्तर्गत आता है§
पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- मैनाबेड़ा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य- झारखण्ड, राष्ट्रीयता- भारतीय नागरिक ।
मो0 नं0- 8210138421, आधार संख्या- xxxx xxxx 4471
शपथ-वत्र संख्या:- 396/2022

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग चार लाख पच्चीस हजार रूपया अंके 4,25,000/- रूपया होता है ।

§5§ सम्पति:- संरचना रहित व्यवसायिक भूमि- विवरण:-

क्रम सं0	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
1	सिमडेगा	सिमडेगा	सलडेगा	117	24	518	0.02½ एकड

एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 24 §चौबीस§ प्लॉट नं0 518, §पाँच सौ अठारह§ रकबा 0.33 एकड़, में से रकबा 0.02½ एकड़ §अढ़ाई डिसमिल§ जिसकी लम्बाई-चौड़ाई,
उत्तर की भुजा- 57 फीट,
दक्षिण की भुजा- 56 फीट,
पूरब की भुजा - 19'3" फीट,
पश्चिम की भुजा- 19'3" फीट,

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,
दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश फैशन मार्ट,
पूरब :- एन.एच. 143,
पश्चिम:- जेवियर एक्का का घेरा बारी,

मालगुजारी 20 पैसा अलावे सेस सालाना । वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से व्यवसायिक जमीन है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा पेड़ पौधा रहित है ।

अमित कुमार केशरी
पिता श्री शिवनारायण केशरी
ग्राम पुरानागढ़ गली सिमडेगा
थाना + जिला सिमडेगा
29/9/22

जो नगर परिषद, सिमडेगा के वार्ड नं0 3, में अवस्थित है जिसका होल्डिंग नं0- 0030000732000एम0 है ।

मैं लेखयकारी शपथपूर्वक कहता हूँ कि बिक्रीत जमीन को पूर्व में किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिक्री, रेहन, बंधक, लीज, दान या एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है ।

§1§ चुँकि मुझ लेखयकारी को मकान बनाने वास्ते रुपयों की आवश्यकता पड़ी जिसकी व्यवस्था बिना जमीन बेचे रुपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेखयधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखयधारिणी के हाथों नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन हमारी खतियानी जमीन है तथा खतियानी रैयत जुशफ मुण्डा वल्द करमा मुण्डा के नाम से नाप दर्ज है तथा खतियानी रैयत जुशफ मुण्डा मेरे दादा थे तथा पंजी II रैयत जोहन मुण्डा वगै0 के नाम से कायम है जो पंजी II के भोल्युम नं0 1, पेज नं0 110 में दर्ज है तथा मालगुजारी रसीद सन् 2021-22 तक मेरे पिताजी जोहन मुण्डा वगै0 के नाम से कटता आ रहा है तथा मेरे दादा एवं पिताजी के मृत्यु के पश्चात् उक्त जमीन को आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा कर उत्तराधिकारी के हैसियत से मुझे प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा

/

सोमा कुमार- कुडिया
29/9/22

झंझट या वारदेन नहीं है । तथा खतियान के अनुसार जमीन कायमी दर्ज है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 601/2021-22 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 28.09.2022 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 676§ii§ दिनांक 28.09.2022 है ।

§4§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§5§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैशर-ए-हिन्द, खास महाल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ, वन भूमि या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सूची सं संबंधित नहीं है ।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- धन कुंवर कुड़िया
29/9/22

धन कुंवर कुड़िया
29/9/22

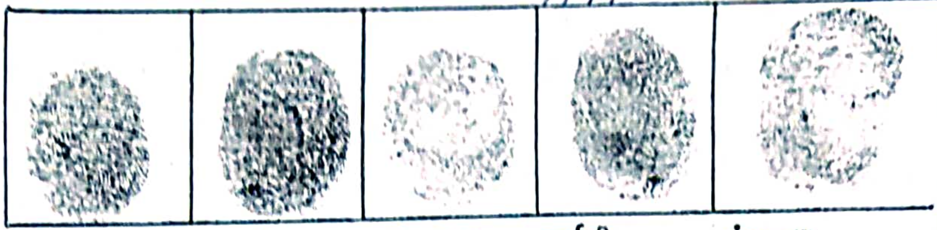

कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी धनकुंवर कुड़िया के बांये हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।
Sita Ram Mahto
Advocate
29.9.2022

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- Namita Bhawani Minz
29/9/22

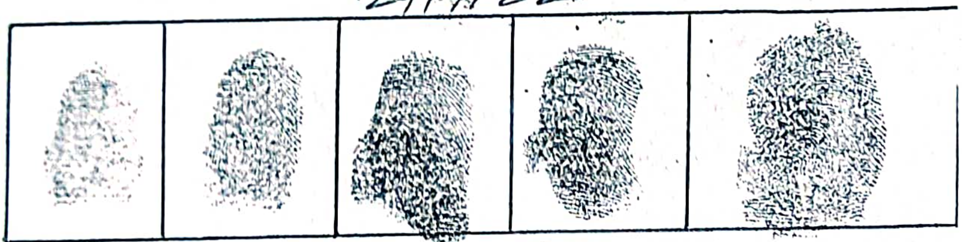

कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी नमिता भवानी मिंज के बांये हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है। Sita Ram Mahto
Advocate
29.9.2022

पहचानी गवाह-सही/- महफूज आलम
29/9/22

कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचान गवाह महफूज आलम के बांये हाथ के पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।
Sita Ram Mahto
Advocate
29.9.2022

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Sita Ram Mahto Advocate 29.9.2022

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक
मो० महबूब
29.09.2022
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

अनुलग्नकः-

1. परमिशन शेड्युल का मूल प्रति,
2. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश की सच्ची प्रतिलिपि,
3. खतियान का छायाप्रति,
4. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
5. भिलेज मैप का छायाप्रति,
6. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
7. हॉल्डिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

धन कुबेर शुद्धिया
30/9/22

धन कुबेर शुद्धिया 29/9/22